फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कमलेश **विपक्षी : श्री अर्जुन**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 171/21**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प डबोक में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागदा द्वारा वकालतनामा मय स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। वादी सं. 1 फौत होने से अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया, शा.फा. रहे। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादी सं. 1 के वारिस पूर्व से ही पत्रावली पर होने से पृथक से नाम कायमी की आवश्यकता नहीं होना बताया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः उभय पक्षकारान प्रा. पत्र पर सहमत होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी सं. 1 का नाम तर्क किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उभय पक्षकारान की बहस दावा सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में मोहनसिंह के नाम दर्ज थी। वर्तमान में मोहनसिंह फौत हो चुके हैं। मोहनसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2006 से आराजी नम्बर 2414 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में से 7 बिस्वा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2007 से आराजी नम्बर 2414 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि को वादीगण के पिता/पति को विक्रय की थी परन्तु नामान्तरकरण से वादीगण के पिता/पति के नाम 1 बीघा 17 बिस्वा का ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। वर्तमान में वादीगण के पिता/पति फौत हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण मय प्रतिवादी द्वारा वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। वादीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण के पिता/पति द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं। वादीगण एक सद्भावी क्रेता हैं। वादीगण द्वारा पूर्णप्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2414 किता 1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2006 एवं 03.02.2007 के आधार पर वादी हेमेन्द्र, सुशीला, भावना, गुलाबबाई पिता/पति गणेशलाल सालवी को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:56:26 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 171/21 (वाद) GCMS No. : 2021/339

उनवान

1. श्री कमलेश पिता गणेशलाल सालवी निवासी बी–4 पुरोहितों की मादडी तह. गिर्वा। **(मृतक)**
2. श्री हेमेन्द्र पिता गणेशलाल सालवी निवासी बी–4 पुरोहितों की मादडी तह. गिर्वा।
3. सुशीला पिता गणेशलाल सालवी निवासी बी–4 पुरोहितों की मादडी तह. गिर्वा।
4. भावना पिता गणेशलाल सालवी निवासी बी–4 पुरोहितों की मादडी तह. गिर्वा।
5. श्रीमती गुलाबबाई पत्नी गणेशलाल सालवी निवासी बी–4 पुरोहितों की मादडी तह. गिर्वा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री अर्जुन पिता रतनसिंह गवारिया निवासी डबोक तह. मावली।
2. श्री कैलाश पिता रतनसिंह गवारिया निवासी डबोक तह. मावली।
3. श्री बाबुलाल पिता मोहनसिंह गवारिया निवासी डबोक तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2414 किता 1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2006 एवं 03.02.2007 के आधार पर वादी हेमेन्द्र, सुशीला, भावना, गुलाबबाई पिता/पति गणेशलाल सालवी को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:56:26 IST
Reason: SelfAttested